झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची
JHARKHAND ACADEMIC COUNCIL, RANCHI

मध्यमा परीक्षा, 2019 के पंजीयन हेतु आवश्यक सूचना

विज्ञप्ति संख्या - 70/2018

एतद् द्वारा मध्यमा परीक्षा, 2019 के लिए पंजीकृत होने वाले सभी छात्र/छात्राओं, अभिभावकों एवं विद्यालय प्रधानों को सूचित किया जाता है कि इस वर्ष से पंजीयन आवेदन प्रपत्र ऑनलाईन स्वीकार करने का निर्णय परिषद् द्वारा लिया गया है जो निम्न कार्यक्रम के अनुसार परिषद् के वेबसाइट www.jac.jharkhand.gov.in या www.jac.nic.in के माध्यम से किए जायेंगे:-

	ऑनलाइन पंजीयन प्रपत्र भरने एवं चालान जेनरेट करने की तिथि	चालान के माध्यम से बैंक में शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि
विलम्ब शुल्क रहित	15.12.2018 से 05.01.2019 तक	07.01.2019 तक
विलम्ब शुल्क सहित	06.01.2019 से 16.01.2019 तक	18.01.2019 तक

उक्त निर्धारित तिथि के पश्चात् पंजीयन की कार्रवाई नहीं की जाएगी।

ऑनलाइन पंजीयन के **Steps निम्नवत् हैं:-**

- विद्यालय प्रधान परिषद् के उक्त दोनों वेबसाइटों में से किसी पर भी जाकर Online Registration form for Madhyama Examination 2019 अंकित Tab पर Click करेंगे। Click के बाद जो पेज खुलेगा उसमें एक फॉर्म जो **दिनांक 15.12.2018** से उपलब्ध होगा, को डाउनलोड कर छात्रों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। उक्त फॉर्म में छात्र अपनी विवरणी भरकर विद्यालय में जमा करेंगे जिसका उपयोग छात्रों के पंजीयन विवरणी विद्यालय प्रधान के माध्यम से भरने में किया जा सकेगा।
- विद्यालय को उपलब्ध कराये गये User ID, Password एवं Captcha को निर्धारित कॉलम में भरकर submit बटन पर क्लिक करेंगे। तत्पश्चात् Registered mobile no. पर भेजे गए OTP का प्रयोग कर Online form भरेंगे। पंजीयन Form भरने संबंधी दिशा-निर्देश परिषद् के वेबसाइट पर उपलब्ध होगा।
- सभी छात्रों का Form भरने के बाद शुल्क जमा करने हेतु Challan generate करना अनिवार्य होगा। उक्त चालान Allahabad bank के किसी भी शाखा में जमा किया जा सकेगा।
- शुल्क जमा करने के दो दिनों के पश्चात् छात्र/छात्राओं की समेकित विवरणी Print Consolidated Statement निकाला जाएगा एवं उसकी एक प्रति चालान रसीद के साथ परिषद् कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।

शुल्क की राशि

1) पंजीयन आवेदन पत्र	-	₹70/- प्रति छात्र/छात्रा
2) पंजीयन शुल्क (नियमित)	-	₹80/- प्रति छात्र/छात्रा
3) पंजीयन शुल्क (स्वतंत्र)	-	₹400/- प्रति छात्र/छात्रा
4) अनुमति शुल्क (स्वतंत्र)	-	₹400/- प्रति छात्र/छात्रा
5) पंजीयन विलम्ब शुल्क	-	₹250/- प्रति छात्र/छात्रा

आवश्यक निर्देश:

1. स्वतंत्र छात्र/छात्राओं के लिए सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र, आचरण प्रमाण पत्र एवं आयु प्रमाण पत्र, शपथ पत्र अनिवार्य रूप से प्राप्त करना होगा। जो बाद में परिषद् द्वारा मांगे जाने की स्थिति में उपलब्ध कराना आवश्यक होगा। अन्यथा की स्थिति में पंजीयन रसीद निर्गत नहीं की जा सकेगी।
2. दिनांक 31.03.2005 के बाद की जन्म तिथि वाले छात्र/छात्राओं का पंजीयन रद्द कर दिया जायेगा।
3. मध्यमा परीक्षा, 2019 के लिए वर्ष 2016 के पंजीयन की मान्यता दी जायेगी। 2016 के पूर्व के परीक्षार्थियों को पुन: पंजीयन करवाना अनिवार्य होगा। अगर वर्ष 2016 के पूर्व के पंजीयन के आधार पर परीक्षा आवेदन पत्र भरा जाएगा तो उसे रद्द कर दिया जायेगा, जिसकी सारी जिम्मेवारी विद्यालय प्रधान की होगी।
4. राजकीय/अनुदानित एवं प्रस्वीकृति प्राप्त संस्कृत उच्च विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को स्वतंत्र छात्र/छात्राओं के पंजीयन एवं अनुमति आवेदन पत्रों को अग्रसारित करने के लिए अधिकृत किया जाता है।
5. वैसे संस्कृत उच्च विद्यालयों, जिन्हें अस्थायी/स्थायी स्थापना अनुमति हेतु परिषद् द्वारा विभाग को अनुशंसा भेज दी गई है, विज्ञप्ति संख्या 65/2007 का अनुपालन करेंगे, साथ ही वैसे विद्यालय के छात्रों को स्वतंत्र छात्र के रूप में पंजीयन शुल्क देय होगा।
6. सत्र 2018-2019 की मध्यमा परीक्षा सरकार द्वारा पुनरीक्षित पाठ्यक्रम के अनुसार ली जाएगी।

नोट:- मध्यमा परीक्षा, 2017 का मूल प्रमाण पत्र दिनांक 15.12.2018 तक परिषद् कार्यालय, राँची से आवश्यक रूप से प्राप्त कर लेंगे।

अध्यक्ष के आदेश से,
ह./-
(महीप कुमार सिंह)
सचिव,
झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची।

JAC/मध्यमा/5270/18/SECY/652/18
Dt. 13.12.2018
D.O.P. 14.12.2018

8X22